कृषि वानिकी उत्पादों के लिए औद्योगिक क्लस्टर

शोभित श्रीवास्तव • लखनऊ

- जल्द आएगी उप्र कृषि वानिकी एवं उत्पाद आधारित उद्योग प्रोत्साहन नीति
- कृषि वानिकी के जरिये किसानों की आय बढ़ाएगी प्रदेश सरकार
- उत्पादों की बिक्री के लिए ई-बाजार कराया जाएगा मुहैया

किसानों की आय दोगुणी करने के भाजपा के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए योगी सरकार कृषि वानिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने जा रही है। सरकार प्रदेश में कृषि वानिकी उत्पादों के लिए औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना करेगी। उत्पादों की बिक्री के लिए सरकार बाजार भी मुहैया कराएगी। इसके लिए राज्य कृषि वानिकी ई-बाजार की भी स्थापना की जाएगी।

सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए 'उप्र कृषि वानिकी एवं कृषि वानिकी उत्पाद आधारित उद्योग प्रोत्साहन नीति' लाने जा रही है। इसमें कृषि वानिकी उत्पाद आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को उन प्रजाति के पौधे के बारे में बताया जाएगा जिनकी मांग उद्योगों में होती है। वन विभाग ऐसे पौधे किसानों को सस्ते में उपलब्ध कराएगा और तकनीकी मदद भी देगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इस नीति को तैयार कर रहा है। शीघ्र ही इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। किसानों, छोटे उद्यमियों एवं कारीगरों की सुविधा के लिए कृषि वानिकी उत्पाद सामान्य सुविधा केंद्र की भी स्थापना होगी। यहां हित धारकों को सभी जानकारी मिल सकेगी। नीति के तहत उद्योगों को एकीकृत इकाइयों की स्थापना एवं मूल्य संवर्धन के लिए सरकार सहायता प्रदान करेगी। उप्र औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 की प्राथमिकता क्षेत्र में भी कृषि वानिकी उत्पाद आधारित उद्योगों को शामिल किया जाएगा। उत्पादन एवं भंडारण सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं की भी स्थापना सरकार करेगी। विनियर एवं प्लाईवुड सहित कृषि वानिकी उत्पाद आधारित उद्योगों की स्थापना में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) तथा स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को सुविधा प्रदान की जाएगी। सुगंधित तथा औषधीय उद्योगों को भी बढ़ावा देने से सुगंधित और औषधीय उत्पादों की अप्रयुक्त मांग को पूरा किया जा सकेगा। काष्ठ कला आधारित शिल्प कला से संबंधित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उप्र काष्ठ कला बोर्ड की भी स्थापना की जाएगी।

किसानों को मिलेगी एमएसपी की गारंटी : नीति में सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी भी प्रदान करेगी। लंबे समय पर पेड़ों को बचाए रखने के लिए सरकार ग्रीन सब्सिडी भी प्रदान करेगी। कृषि वानिकी प्रजातियों के लिए किसानों को 'गारंटी बाय बैक' की व्यवस्था भी की जाएगी। ई-बाजार में किसानों के स्वामित्व के वृक्षों की सूची के लिए डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा। इससे उद्योगों को भी यह पता चल जाएगा कि उसे जिस प्रजाति के पेड़ की जरूरत है वह कहां लगे हैं।

किसानों को मिलेंगे ये लाभ

- कृषि वानिकी उत्पादन को कृषि फसलों की तरह किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा।
- प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए वृक्ष बीमा योजना की सुविधा।
- कृषि वानिकी फसलों को स्वैच्छिक कार्बन बाजार से जोड़ना।
- उद्योगों को सीएसआर निधि का एक प्रतिशत निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना।